भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

12.08.2026 के

तारांकित प्रश्न सं. 345 का उत्तर

पश्चिम रेलवे के रेलवे स्टेशनों पर बंद लिफ्ट, एस्केलेटर और पैदल पार पथ

***345. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम रेलवे के कई रेलवे स्टेशनों पर लिफ्टों, एस्केलेटरों और पैदल पार पथ (एफओबी) को कागजों पर कार्यशील दर्शाया गया था जबकि वे लंबे समय से बंद हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पश्चिम रेलवे ने उक्त कार्यों का वास्तविक रूप से सत्यापन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में रिपोर्ट कब तक सभा पटल पर रखे जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है क्योंकि पश्चिम रेलवे में तत्काल टिकट से जुड़े दलालों के विरुद्ध नियमित रूप से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसी गतिविधियां आंतरिक मिलीभगत के बिना संभव नहीं हैं; और

(च) यदि हां, तो क्या उक्त प्रणाली की स्वतंत्र जांच किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 12.08.2026 को लोक सभा में तारांकित प्रश्न सं. 345 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (च): इस समय, पश्चिम रेलवे में 46 रेलवे स्टेशनों पर 191 एस्केलेटर और 86 रेलवे स्टेशनों पर 240 लिफ्टें मुहैया कराई गई हैं।

इसके अलावा, रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है, जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए पेड़ों की कटाई, धरोहर, दमकल विभाग से मंजूरी, विमानपत्तन मंजूरी इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। ये स्टेशन लंबे समय से परिचालन में हैं जिनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं), अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, रेलपथ व उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य की प्रगति और समापन समय को प्रभावित करते हैं।

भारतीय रेल ने ब्राउनफील्ड स्टेशन परियोजनाओं में स्थान की कमी, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण और सतत परिचालन में सुधार लाने के लिए चरणबद्ध रूप से यात्रियों की सुविधाओं पर केंद्रित पुनर्विकास कार्यनीति अपनाई है। स्टेशन संपदा की मास्टर प्लानिंग प्रक्रिया समग्र रूप से कार्यात्मक क्षेत्र निर्माण सुनिश्चित करते हुए, रेल भूमि का कुशलतापूर्वक उपयोग करके की गई है। गाड़ी सेवाओं से संबंधित व्यवधानों को हटाने के लिए स्थानीय एजेंसियों के समन्वयन में जनोपयोगी सुविधाओं का विस्तृत चिह्नांकन और उन्नत मार्ग परिवर्तन योजना बनाई जाती है। कार्यों के निष्पादन को चरणबद्ध रूप में सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध किया जाता है, ताकि गाड़ी संचालन और आवश्यक यात्री सुविधाएं कार्यात्मक बनी रहें। पुनर्विकास अवधि के दौरान यात्रियों की

असुविधा कम करने के लिए अस्थायी सुविधाएं, स्पष्ट संकेतक और भीड़ प्रबंधन उपाय, जहां कहीं आवश्यक हो, भी किए जाते हैं।

स्टेशन पुनर्विकास:

रेल मंत्रालय ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास हेतु अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इस योजना में रेलवे स्टेशनों को बेहतर बनाने के लिए मास्टर योजना तैयार करना और चरणबद्ध रूप में उनका कार्यान्वयन करना शामिल हैं।
मास्टर योजना बनाने में प्रत्येक स्टेशन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कार्य शामिल किए गए हैं:

- रेलवे स्टेशन और परिचलन क्षेत्रों तक पहुँच में सुधार कार्य
- शहर के दोनों भागों के साथ रेलवे स्टेशन का एकीकरण
- रेलवे स्टेशन भवन में सुधार कार्य
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, वाटर-बूथों में सुधार कार्य
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े ऊपरी पैदल पुल/सबवे का प्रावधान
- लिफ्ट/एस्केलेटर/रैम्प का प्रावधान
- प्लेटफ़ॉर्म की सतह में सुधार/प्लेटफ़ॉर्म शेल्टर का प्रावधान
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क का प्रावधान
- पार्किंग क्षेत्र का विकास
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएँ
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली
- एयर कॉनकोर्स, एक्ज़ीक्यूटिव लाउंज, मल्टीमॉडल एकीकरण, भूसुदर्शनीकरण आदि की व्यवस्था।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्धता और व्यवहार्यता के अनुसार संधारणीय और पर्यावरण अनुकूल समाधान आदि तथा रेलवे स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की संकल्पना भी की गई है।

अभी तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास हेतु 1,340 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है, जिनमें से 123 स्टेशन पश्चिम रेलवे में स्थित हैं। पश्चिम रेलवे में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए चिह्नित किए गए स्टेशनों के नाम निम्नलिखित हैं:

क्षेत्रीय रेलवे	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
पश्चिम रेलवे	123	अहमदाबाद, अकोदिया, अमलनेर, आणंद, अंधेरी, अंकलेश्वर, असर्वा, बांद्रा टर्मिनस, बारडोली, बार्छा, भचाउ, भक्तिनगर, भाणवड, भरूच, भाटीया, भावनगर, भेस्तान, भीलड़ी, बिलिमोरा जं, बोरीवली, बोटाड जं, चंदेरिया, चांदलोडिया, चर्नी रोड, चित्तौड़गढ़ जं, चोरवाड रोड, डभोई जं, दादर (पश्चिम रेलवे), दहिसर, दाहोद, डाकोर, डेरोल, देवास, धारणगांव, धांगध्रा, द्वारका, गांधीधाम, गोधरा जं., गोंडल, ग्रांट रोड, हापा, हिम्मतनगर, इंदौर जं., जाम जोधपुर, जाम वंथाली, जामनगर, जेतलसर जं., जोगेश्वरी, जूनागढ़ जं., कलोल जं., कनालुस जं., कांदिवली, करमसद, केशोद, खाचरोद, खंभालिया, किम, कोसंबा जं., लखतर, लक्ष्मीबाई नगर, लिम्बडी, लिमखेड़ा, लोअर परेल, महेमदाबाद खेड़ा रोड, महेसाणा जं., महुवा, मक्सी जं., मालाड, मंदसौर, मणिनगर, मरीन लाइंस, मेघनगर, मीठापुर, मियागाम कर्जन जं., मोरबी, मुंबई सेंट्रल, नाडियाड जं., नागदा जं.,

क्षेत्रीय रेलवे	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
		नंदुरबार, नवसारी, न्यू भुज, नीमच, ओखा, पडधारी, पालनपुर जं., पालघर, पालीताणा, पाटन, पोरबंदर, प्रभादेवी, प्रतापनगर, राजकोट जं., राजुला जं., रतलाम, साबरमती बड़ी लाइन, साबरमती मीटर लाइन, सचीन, समखियाली, संजन, सावरकुंडला, सायन, सीहोर, शुजलपुर, सिद्धपुर, सीहोर जंक्शन, सोमनाथ, सोनगढ़, सूरत, सुरेन्द्रनगर, थान, उधना, उदवाड़ा, उज्जैन, उमरगांव रोड, ऊंझा, उत्राण, वडोदरा, वापी, वटवा, वेरावल, वीरमगाम, विश्वामित्री जंक्शन, वांकानेर

पश्चिम रेलवे के स्टेशन जहां कार्य पूरे कर लिए गए हैं:

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य तेज गति से किए जा रहे हैं। पश्चिम रेलवे में स्टेशनों, जहां कार्य पूरे किए गए हैं, का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्षेत्रीय रेलवे	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
पश्चिम रेलवे	23	भक्तिनगर, डाकोर, डेरोल, गोधरा जंक्शन, हापा, जाम जोधपुर, जाम वंथाली, कनालूस जंक्शन, करमसद, खंभालिया, कोसंबा जंक्शन, लिंबडी, महुवा, मिठापुर, मोरबी, ओखा, पालीताना, पोरबंदर, प्रतापनगर, राजुला जंक्शन, समखियाली, सीहोर जंक्शन, उत्राण

अन्य स्टेशनों पर भी विकास की गतिविधियां तेज गति से शुरू की गई हैं और कुछ स्टेशनों पर कार्यों की प्रगति नीचे दी गई है:

पश्चिम रेलवे में अमृत भारत स्टेशन:

- न्यू भुज स्टेशन: मुख्य और दूसरे प्रवेश द्वार तथा एयर कॉनकोर्स में नए स्टेशन भवन का संरचना संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है और फिनिशिंग कार्य शुरू कर दिए गए हैं। नए ऊपरी पैदल पुल, थ्रू रूफ, मुख्य प्रवेश द्वार और दूसरे प्रवेश द्वार पर परिचलन क्षेत्र में सुधार कार्य, नए प्लेटफॉर्म शेल्टर, लिफ्टों और एस्केलेटरों के कार्य शुरू किए गए हैं।

- कलोल जंक्शन स्टेशन: मुख्य और दूसरे प्रवेश द्वार पर नए स्टेशन भवन का निर्माण कार्य, प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्लेटफॉर्म सतह का सुधार कार्य, परिचलन क्षेत्र और पार्किंग में सुधार के कार्य पूरे किए जा चुके हैं। 12 मीटर चौड़े नए ऊपरी पैदल पुल, पेयजल बूथ और प्रवेश/निकास द्वार के सुधार के कार्य शुरू किए गए हैं।

- महेसाणा जंक्शन स्टेशन: मुख्य प्रवेश द्वार पर स्टेशन भवन का सुधार कार्य, दूसरे प्रवेश द्वार पर नए स्टेशन भवन, परिचलन क्षेत्र के सुधार कार्य, पार्किंग प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्लेटफॉर्म सतह का सुधार कार्य, बाउंड्री वॉल और प्रवेश/निकास द्वार के सुधार के कार्य पूरे किए जा चुके हैं। 12 मीटर चौड़े ऊपरी पैदल पुल का निर्माण कार्य, पेयजल बूथ और शौचालय ब्लॉक के सुधार के कार्य शुरू किए गए हैं।

- अंकलेश्वर स्टेशन: मुख्य प्रवेश द्वार और दूसरे प्रवेश द्वार पर स्टेशन भवन के सुधार कार्य, परिचलन क्षेत्र, पहुंच मार्ग, नए प्लेटफॉर्म शेल्टर और पार्किंग के सुधार के कार्य पूरे किए जा चुके हैं। 12 मीटर चौड़े ऊपरी पैदल पुल का कार्य शुरू कर दिया गया है।

- **सुरेंद्रनगर स्टेशन: स्टेशन भवन, परिचलन क्षेत्र के सुधार कार्य, पार्किंग, प्लेटफॉर्म सतह के सुधार कार्य और नए प्लेटफॉर्म शेल्टर के कार्य पूरे किए जा चुके हैं। 12 मीटर चौड़े ऊपरी पैदल पुल और लिफ्टों के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।**

इसके अलावा, भारतीय रेल में लिफ्ट, एस्केलेटर और ऊपरी पैदल पुल के प्रावधान सहित रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य सापेक्ष प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के अध्यधीन आवश्यकतानुसार शुरू किए जाते हैं। रेलवे स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण कार्य स्टेशन की कोटि/दशा/संभाले जाने वाले यातायात आदि के आधार पर निष्पादित किए जाते हैं।

बहरहाल, पश्चिम रेलवे के किसी भी स्टेशन पर किसी भी लिफ्ट, एस्केलेटर अथवा ऊपरी पैदल पुल को स्थाई रूप से बंद नहीं किया गया है। यदि लिफ्ट, एस्केलेटर और ऊपरी पैदल पुल को अस्थायी रूप से अनुरक्षण, मरम्मत अथवा अन्य परिचालनिक कारणों से बंद किया जाता है, तो प्लेटफॉर्म के बीच यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए स्टेशन पर वैकल्पिक साधन खुले रहते हैं। किसी स्टेशन पर एकाधिक ऊपरी पैदल पुल की उपलब्धता परिचालनिक आवश्यकताओं और स्टेशन पर यात्रियों की संख्या के आधार पर नियोजित की जाती है, जिससे यात्रियों का आवागमन निर्बाध रूप से सुनिश्चित किया जाता है।

अनैतिक तत्वों द्वारा आरक्षण प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए, भारतीय रेल द्वारा कई निवारक और दंडात्मक उपाय किए गए हैं। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पहलें निम्नानुसार हैं:

- **अनधिकृत टिकटिंग कार्यकलापों की रोकथाम के लिए यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) केंद्रों, बुकिंग कार्यालयों, प्लेटफार्मों, गाड़ियों आदि जैसे जनसंपर्क क्षेत्रों में नियमित जांच की**

जाती है। त्योहारों, छुट्टियों आदि जैसी व्यस्त अवधि के दौरान भी ऐसी जांच गहनतापूर्वक रूप से की जाती है।

- सामान्य जनता को अनैतिक तत्वों से टिकट न खरीदने और इन स्रोतों से टिकट खरीदने के गंभीर परिणामों के संबंध में जन उद्घोषणा प्रणाली और मीडिया के माध्यम से भी जागरूक किया जाता है।
- भारतीय रेल में दलालों के विरुद्ध रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) कर्मियों द्वारा नियमित अभियान चलाए जाते हैं और रेल अधिनियम में निहित उपबंधों के अनुसार इन कृत्यों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। व्यापक प्रभाव वाले और अन्य अपराधों से जुड़े मामलों को पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी अन्य विधिक प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वयन में निपटाया जाता है।
- रेल सुरक्षा बल के साइबर प्रकोष्ठों के माध्यम से नियमित साइबर पेट्रोलिंग की जाती है ताकि अवैध सॉफ्टवेयर का उपयोग करके जालसाज/दलालों के अनैतिक कार्यकलापों की रोकथाम की जा सके और उनके विरुद्ध मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सके।

अपराधियों (रेल कर्मचारियों सहित) के विरुद्ध रेल अधिनियम, 1989 की धारा 143 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान अर्थात 2023 से 2025 और जून 2026 तक, भारतीय रेल में 65 रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 9 को पश्चिम रेलवे में संबद्ध विधिक प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा, 13580 दलालों को गिरफ्तार किया गया है और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 143 के तहत अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है।
